फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

भूराराम बनाम लालचन्द वगैरह

किस्म मुकदमा:–92ए, 188,207,2019 आरटीए प्रकरण संख्या:–153/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र में विवादित भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित रकबा है। वादी ने यह रकबा पौंग बांध विथापितों से जरिये इकरारनामा यह रकबा खरीद किया था तथा वादी ने इस रकबा बाबत पौंग बांध विस्थापित आवंटन नियम 1972 के संशोधित नियम 6ए में इस रकबा की राशि जमा करवाई थी। इस संशोधित नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित कर निरस्त कर दिया है तथा न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश–प्रथम (पौंग बांध विस्थापित से सम्बन्धित प्रकरण) ने भी मूल आवंटन का आवंटन निरस्त कर दिया तथा वादी इस रकबा का ना तो खातेदार है व ना ही गैर खातेदार है, इसलिये वादी इस रकबा का दावा लाने का अधिकारी नही है। इस रकबा पर प्रार्थी केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा पानी की बारी का अनुतोष भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। इसलिये वाद वादी बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे। कानूनी नजीर डीएनजे 2003(एससी)(1) पेज 107, आरआरटी 2006 पेज–962 एवं आरआरडी 1997 पेज–528 प्रस्तुत की। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी ने यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92ए,188,207, 209 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है और इन धाराओं में वादी मा0न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है, जो विधि द्वारा बाधित नही है वादी ने जैरवाद रकबा के बाबत नियम 6ए पौंग बांध आवंटन नियम में राशि 194000/– दिनांक 23.06.1992 से जमा करवा रखें है तथा वादी इस रकबा पर साधिकार काबिज है। दावा अभी प्राथमिक स्टेज पर है। दावा में केवल जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है, अभी तक तनकीयात भी नही कायम हुई है व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत हुए है। इसलिये प्रकरण प्रकरण में तनकीयात व साक्ष्य लिये बगैर इसी स्टेज पर दावा निरस्त नही किया जा सकता है। कानूनी नजीर आरआरटी 2010 पेज 181 व आरएलडब्लयू 2007(1) पेज 583 प्रस्तुत की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जैरवाद भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित रकबा है तथा पौंग बांध विस्थापित आवंटन नियम 1972 के संशोधित नियम 6ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त होने के बाद मूल आवंटी का आवंटन भी निरस्त हो चुका है तथा वादी का आवंटन भी निरस्त हो चुका है। इस रकबा पर वादी काबिज रहने का या दावा लाने का अधिकारी हो ऐसा वादी ने साबित नही किया है। इस वाद से विवादित आराजी के लिए वादी ना तो आवंटन करवाने का हकदार है तथा वादी इस रकबा का खातेदार या गैर खातेदार भी नही है। वादी इस रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज होकर फसली फायदा उठा रहा है। वादी दावा लाने का अधिकारी नही है। इस वाद के लिए वाद कारण भी पैदा नही होता है। इसलिये कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में दावा निरस्त योग्य है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्राथी/प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वाद कारण के अभाव में निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे इस रकबा पर खड़ी फसल का राज्यहित में कूर्क कर कब्जा तुरन्त बहक सरकार लेवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	3989 19.2.2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested